

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1560

दिनांक 23/11/2021

प्रार्थी :-

- 1.जोगाराम पुत्र चेतनराम
- 2.पेमाराम पुत्र चेतनराम
- जाति जाट, निवासी जैसार
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

- 1.सवाई पुत्र नारणा
- 2.सवाई
- 3.माना
- 4.ईशरा
- 5.गंगा पि. पदमा
- 6.अर्जुन पुत्र लाखा,
- जातियान जाट
- 7.दरा
- 8.हमजा पि.ईशाक, जातियान मुसलमान
- निवासी जैसार, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 22/2021

दिनांक : 23.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 401/27 रकबा 12.03 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1561 to 1564

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सवाई वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन अधिकारी

दिनांक 23/11/2021



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

चौहटन